

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

7/11/21

①

द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० चास संख्या 276/2020

प्रथम पक्ष :- 1. रुपलाल महतो पिता स्व० भुलन महतो सा० रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो।

:- बनाम :-

द्वितीय पक्ष :- 1. कार्तिक महतो, 2. मेधु महतो 3. अमरनाथ महतो 4. डोगन महतो सा० रानीपोखर थाना हरला 5. तारकेश्वर राय पिता स्व० रघु राय वारसु बिहार के बिल्डर सा० रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 12.11.2020 का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:-

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा
रानीपोखर	हरला	46	4769	20 डी०
			6377	24 डी०
			6374	40 डी०

अतः आवेदन के विचारोपरान्त द०प्र०सं० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 28.12.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

28.12.20 शून्यता का मामिला प्राप्त।

प्रथम पक्ष के हाजरी है 5/1 हेतु समय का

आवेदन है

Office File - 590 Office - 2019-19- S.D.M. Court - 144 Crpe Proceeding & Notice

द्वितीय पक्ष के पांच सदस्य का हाजरी है

5/1 हेतु समय का आवेदन है

दिनांक 7/11/21 को शून्य

7/1/2024

Both parties present.
Matter compromised.
Case is dropped.

S/-

7/1/2024

मान
वा
(ल
के
श

2024-11-02